

**संदर्भ स.:** पी.ए.एस.टी एल/आर. टी. आई./अलवर/

**दिनांक** 26.08.2022


सेवा में,


**श्री देवदत्त वशिष्ठ,**
**पिता- श्री रामजीलाल, निवासी - मोठूका फतेहपुर, तहसील-बानसूर,**
**जिला-अलवर, राजस्थान-301402 (मो. न.7597852984)**
**विषय :** आर.टी.आई आवेदन पत्र दिनांक 13.08.2022 के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी के संदर्भ में ।

महोदय,

आपके आर.टी.आई प्रार्थना पत्र दिनांक 13.08.2022 के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(1) के तहत मांगी गई सूचना बिन्दुवार निम्नांकित है-

क्रम सं०	मांगी गई सूचनाओं की प्रकृति / विषयवस्तु	अभीष्ट सूचनाओं के संदर्भ में PASTL अलवर द्वारा दी गई जानकारी
01.	A कैटेगोरी लोकेशन/पोल सं० 133/1 और 133/2 इनके फाउंडेशन के समय जमीन मालिकों को प्रथम किस्त पर कितने कितने रुपए प्राप्त हुए । और पोल खड़ा करने पर दूसरी किस्त कितने कितने रुपए । रामस्वरूप पुत्र खेमचंद, मातादीन पुत्र हरसहाय	आपको यह सूचित किया जाता है कि मुआवजा राशि से सम्बंधित प्रथम किस्त और दूसरी किस्त से कोई सरोकार नहीं है । जब कभी भी कार्य के दौरान कोई फसल एवं वृक्ष की हानी होगी तो नियमानुसार मुआवजा दिया जाता है । जहां तक लोकेशन न.133/1 और 133/2 का सम्बंध है यह किसी अन्य किसान से सम्बंधित है । आपका यानि आवेदनकर्ता का कोई परोक्ष/प्रत्यक्ष संबंध उक्त लोकेशन से नहीं है । इसलिए मांगी गई जानकारी आर. टी आई के नियम 8(1) (g) एवं 8 (1)(j) के तहत छूट प्राप्ति के दायरे में है इसे साझा नहीं किया जा सकता ।
02.	लोकेशन सं A कैटेगोरी पोल की गाइडलाइन देने की कृपा करें तथा B,C,D लोकेशन के गाइडलाइन देने की कृपा करें । कैटेगरी A to D फाउंडेशन के समय किसानों को कितना कितना मुआवजा दिया जाता है । पोल खड़ा करते तथा तार खींचते समय कितना कितना मुआवजा किसान को दिया जाता है ।	किसी भी लोकेशन या टावर टाइप के फाउंडेशन, इरेक्शन और स्ट्रिंगिंग के क्रम में दिया जाने वाला मुआवजा की राशि उस लोकेशन/टावर के कृषिगत भूमि में मौके पर खड़ी फसल, उस फसल की उत्पादकता, उसकी कीमत और निर्माण कार्य के दौरान उस क्षतिग्रस्त फसल के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। एवं फसल मुआवजा से संबंधित उक्त सभी प्राचालों को संबंधित राजस्व अधिकारी के सत्यापन के पश्चात निर्गत किया जाता है ।  अतः किसी भी टाइप के टावर का कोई निश्चित मुआवजा राशि तय नहीं किया जा सकता, वस्तुतः मुआवजा टाइप ऑफ टावर पर निर्भर न करके ऊपर वर्णित प्राचालों के एकांक पर निर्भर करता है। (भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के खंड 10 (d) के अनुसार) ।

  
**कंचन कुमार चौधरी**  
 Kanchan Kumar Choudhary  
 Sr. General Manager  
 Aligarh Sikar Transmission Limited  
 (100% Subsidiary of POWERGRID)  
 अलवर, राजस्थान / Alwar, Rajasthan



POWERGRID ALIGARH SIKAR TRANSMISSION LIMITED

(A Wholly Owned Subsidiary of POWERGRID)

Plot No- 339, Shanti-Kunj Scheme, Alwar- 301001

अपीलीय प्राधिकारी का विवरण

श्री ए.के. मिश्रा, कार्यकारी निदेशक (उ. क्षे.1), प्रथम अपीलीय प्रधिकारी  
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उ. क्षे.1 मुख्यालय,  
SCO बे. संख्या 5-10, सेक्टर -16A, फरीदाबाद (हरियाणा)-121002,  
फोन न. 0129-2666301

धन्यवाद

भवदीय

*Kanchan*  
26/08/12

(कंचन कुमार चौधरी)

वरि० महा प्रबंधक/सी. पी. आई ओ,  
पी.ए.एस.टी एल, अलवर

कंचन कुमार चौधरी  
Kanchan Kumar Choudhary  
वरि० महा प्रबंधक/ Sr General Manager  
Sikar- II Aligarh Transmission Limited  
सीकर-II अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड  
(100% Subsidiary of POWERGRID)  
अलवर, राजस्थान / Alwar, Rajasthan

Page - 2/2